आवश्यक

संख्या: 2652 / 12–2–17–60(6) / 2017

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग–2

लखनऊ : दिनॉक: 29 जुलाई, 2017

विषयः– प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषको के सतत विकास एवं उन्नयन हेतु उनके फसली ऋण मोचन योजना के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संस्थागत वित्त, कर निबंधन अनुभाग–6 के शासनादेश संख्याः 540 बी / क0नि0–6–2017–01(बी) / 2017 दिनांक 24 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्याः 565बी / क0नि0–6 / 2017 दिनांक 30 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों में कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में कतिपय जनपदों द्वारा इस आशय को स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी थी कि फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत यदि एक के0सी0सी0 खातों पर संयुक्त रूप से ऋण लिया गया हो तो उपर्युक्त ऋण को पृथक–पृथक माना जायेगा अथवा एक ही माना जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किए जाने का मुझे निदेश हुआ है कि चूंकि बैंकिंग प्रणाली में एक ही खाते के विभिन्न खाताधारकों के मध्य में अंश विभाजन का कोई प्राविधान नहीं है, अतः ऐसे संयुक्त खाते को एकल लाभार्थी मानते हुए कुल धनराशि रूपये 1.00 लाख तक का ऋण मोचन किया जाये।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 2652(1)/12-2-2017 तद्‌दिनांक।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

5. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा हाउस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त से संबंधित सभी बैंकों को सूचित करने का कष्ट करें।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

Atest
29/7/17